भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2338

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

2338. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष दवाओं और उपचार से संबंधित चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, जिसमें देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के अनुसार अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) केंद्रों का वितरण शामिल है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उक्त अनुसंधान परियोजनाओं, विशेषकर असाध्य बीमारियों या स्थितियों के लिए नए उपचार विकसित करने के संदर्भ में क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) आयुष औषधि अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराए गए कोष का ब्यौरा क्या है और देश में दायर किए गए पेटेंट या विकसित किए गए उत्पादों की संख्या कितनी है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-22 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामतः आयुर्ज्ञान को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तीन घटक हैं: अर्थात (i) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) (ii) आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार और (iii) आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान (एबीआईएचआर)। एबीआईएचआर को वर्ष 2023-24 से इस योजना में तीसरे घटक के रूप में जोड़ा गया है। केंद्रीय क्षेत्र योजना होने के कारण, यह योजना किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट के लिए नहीं है।

आयुर्ज्ञान योजना के आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार तथा एबीआईएचआर घटकों के अंतर्गत, योजना के दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के संचालन हेतु पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के प्रारंभ से, अनुसंधान गतिविधियों के संचालन हेतु आयुर्ज्ञान योजना के आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार तथा एबीआईएचआर घटकों के अंतर्गत क्रमशः कुल 34 और 11 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित/समर्थित किया गया है।

एबीआईएचआर घटक के अंतर्गत समर्थित 11 अनुमोदित परियोजनाओं में से, 06 परियोजनाएं 05 एकल आयुर्वेदिक वनस्पतियों पर सुरक्षा एवं प्रभावकारिता डोजियर के विकास से संबंधित थीं।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान परिषदें नामतः केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), अपने अनुसंधान संस्थानों/उपचार केंद्रों/परिधीय इकाइयों के माध्यम से अनुसंधान गतिविधियाँ भी संचालित करती हैं, जिसमें नैदानिक अनुसंधान, औषधि परीक्षण, औषधि सत्यापन, औषधि प्रमाणीकरण, औषधि मानकीकरण, जन स्वास्थ्य अनुसंधान, मौलिक

अनुसंधान और महामारी अनुसंधान शामिल हैं। अनुसंधान परिषदों के संस्थानों/केंद्रों/इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक** पर दी गई है। इसके अलावा, उपर्युक्त अनुसंधान परिषदों द्वारा कुल 709 अनुसंधान अध्ययन (अर्थात सीसीआरएएस-235, सीसीआरएच-230, सीसीआरयूएम-120, सीसीआरएस-102, सीसीआरवाईएन-22) किए गए हैं।

(ख): आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार घटक के अंतर्गत, अनुसंधान परियोजनाओं को तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती है और किस्तों में निधि जारी की जाती है। इन अनुसंधान गतिविधियों के निष्कर्ष में प्रकाशन, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), पेटेंट और संबंधित उत्पाद शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अनुसंधान एवं नवाचार घटक (पूर्ववर्ती ईएमआर सहित) के अंतर्गत सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में कुल 62 अनुसंधान निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान परिषदों द्वारा किए गए अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों को सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशनों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

(ग): आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार घटक के अंतर्गत आयुष औषधियों पर अनुसंधान करने के लिए 5.99 करोड़ रुपये की निधि और एबीआईएचआर घटक के अंतर्गत 47.07 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई गई। आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार घटक के अंतर्गत दो (02) पेटेंट दाखिल किए गए हैं। अनुसंधान परिषदों द्वारा दाखिल किए गए पेटेंट स्वीकृत/विकसित किए गए उत्पादों का विवरण निम्नलिखित है:-

i)	सीसीआरएएस	-	03 पेटेंट दाखिल किए गए और 24 पेटेंट स्वीकृत किए गए
ii)	सीसीआरयूएम	-	05 पेटेंट दाखिल किए गए और 02 पेटेंट स्वीकृत किए गए
iii)	सीसीआरएच	-	09 पेटेंट दाखिल किए गए और 02 स्वीकृत किए गए
iv)	सीसीआरएस	-	11 पेटेंट दाखिल किए गए और 01 पेटेंट स्वीकृत किया गया।

*****

संलग्नक

अनुसंधान परिषदों के संस्थानों/केंद्रों/इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संस्थानों/केंद्रों/इकाइयों की संख्या**				
		सीसीआरएएस	**सीसीआरएच**	**सीसीआरयूएम**	**सीसीआरएस**	**सीसीआरवाईएन**
1	आंध्र प्रदेश	01	02	01	01	--
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	01	01	--	--	--
3	अरुणाचल प्रदेश	01		--	--	--
4	असम	01	01	01	--	--
5	बिहार	01	01	01	--	--
6	दिल्ली	01	06	04	01	--
7	गुजरात	01	--	--	--	--
8	गोवा	01	01	01	01	--
9	हरियाणा	--	--	--	--	01
10	हिमाचल प्रदेश	01	01	--	--	--
11	झारखंड	--	01	--	--	--
12	कर्नाटक	01	--	01	01	01
13	केरल	02	01	01	01	--
14	महाराष्ट्र	03	01	01	--	--
15	मध्य प्रदेश	01	--	02	--	--
16	मणिपुर	--	01	01	--	--
17	मिजोरम	--	01	--	--	--
18	नागालैंड	01	01	--	--	--
19	ओडिशा	01	02	01	--	--
20	पुडुचेरी	--	01	--	01	--
21	पंजाब	01	--	--	--	--
22	राजस्थान	01	01	--	--	--
23	सिक्किम	01	01	--	--	--
24	तमिलनाडु	02	02	01	03	--
25	त्रिपुरा	01	01	--	--	--
26	तेलंगाना	01	01	01	--	--
27	उत्तर प्रदेश	02	03	05	--	--
28	पश्चिम बंगाल	01	02	01	--	--
29	जम्मू एवं कश्मीर	01	--	01	--	--
30	उत्तराखंड	01	--	--	--	--
	कुल	**30**	**33**	**24**	**09**	**02**